संख्या- 208 / 2024 /808 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2024

विषय:- लोक कला संग्रहालय, लखनऊ भवन के सुदृढ़ीकरण / मरम्मत के कार्यों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1418/उ0प्र0सं0नि0- 5(143)/2023-24, दिनांक 20 मार्च, 2024 एवं पत्र संख्या-1262/उ0प्र0सं0नि0- 5(143)/2023-24, दिनांक 22 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार लोक कला संग्रहालय, लखनऊ भवन के सुदृढ़ीकरण / मरम्मत के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 से प्राप्त आगणन रू0 98.24 लाख पर अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 19.02.2024 में की गयी संस्तुति के क्रम में लोक कला संग्रहालय, लखनऊ भवन के सुदृढ़ीकरण / मरम्मत के कार्यों हेतु रू0 98.24 लाख (रू0 अट्ठानवे लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 80.00 लाख (रू0 अस्सी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर -107- संग्रहालय -03- अधिष्ठान व्यय -29- अनुरक्षण मद में रू0 80.00 लाख की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ लोक कला संग्रहालय, लखनऊ / कार्यदायी संस्था का होगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि की स्थिति में सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
11. प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ का होगा।
12. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
14. यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।
15. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयान्तर्गत कार्य पूर्ण किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर -107- संग्रहालय -03- अधिष्ठान व्यय -01- वेतन मद में हो रही बचत धनराशि में से संक्रमित कर लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर -107- संग्रहालय -03- अधिष्ठान व्यय -29- अनुरक्षण मद के नामे डाली जायेगी।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 208 /2024 / 808 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, यूनिट-8, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम–9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर– 158)
A004-20232024-808-Char-2024 Reapp Lok Kala Museum

विषय:- लोक कला संग्रहालय, लखनऊ भवन के सुदृढ़ीकरण / मरम्मत के कार्यों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	01 (वेतन)	8,58,64,000 रुपये आठ करोड़ अट्ठावन लाख चौंसठ हजार मात्र	1,19,74,000 रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख चौहत्तर हजार मात्र	98,24,000 रुपये अट्ठानबे लाख चौबीस हजार मात्र	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	7,78,64,000 रुपये सात करोड़ अठहत्तर लाख चौंसठ हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 98,24,000	₹ 80,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	29 (अनुरक्षण)	12,50,000 रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र	98,24,000 रुपये अट्ठानबे लाख चौबीस हजार मात्र	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	92,50,000 रुपये बयान्वे लाख पचास हजार मात्र	2023-2024
कुल				₹ 98,24,000	₹ 80,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या:RE-budget-1-867-E-7-784-X-2023-24-दिनांक:29-03-2024

सेवा में,
निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 208 /2024 / 808 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in